न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम मादन (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
128/2016

तारीख दायर
19-05-2016

उनवान

01. रामबक्स
02. लीलाराम
03. रामलाल पुत्रान श्री नारायण जाति माली निवासीगण ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——— वादीगण

बनाम

01. महेन्द्र पुत्र गणपत जाति माली निवासी ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर
02. राजवाला पुत्री गणपत पत्नी रामसिंह जाति माली
03. कृष्णा पुत्री गणपत पत्नी रोहताश जाति माली निवासीगण ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल आबाद लूणी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़

——— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती वा हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वा हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 699 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का 1/3 भाग व आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 553 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का 1/3 भाग में से 10 बिस्वा वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी पूर्व में गणपत पुत्र गिरधारी जाति माली ग्राम मंढा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। उक्त विवादित आराजी को मिन वादीगण के पिता नारायण ने गणपत से जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 12.10.1998 को प्रतिफल राशि अदा कर, बाकब्जा खरीद किया है। वक्त खरीद से ही मिन वादीगण का पिता उक्त विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता रहा है। मिन वादीगण के पिता नारायण के देहान्त के बाद वादीगण काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर वादीगण का वास्तविक कब्जा है। वादीगण के पिता नारायण उक्त खरीदशुदा आराजी का असल बयनामा हल्का पटवारी को वास्ते दर्ज व स्वीकार करने इंतकाल दे दिया था तथा हल्का पटवारी ने इंतकाल दर्ज करने का आश्वासन दिया परन्तु हल्का पटवारी ने जानबूझकर उक्त विवादित आराजी का मिन वादीगण के पिता नारायण के नाम इंतकाल दर्ज व स्वीकार नहीं किया और उक्त विवादित आराजी बदस्तूर गणपत के नाम दर्ज रिकार्ड रही और गणपत के मरने के बाद उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने हल्का पटवारी से बमिल्लत विरासत इंतकाल अपने नाम दर्ज व स्वीकार कराकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम का अमल

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

... जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के नाम गलत अंकन चला आ रहा है। जबकि ... [illegible] वादीगण के पिता नारायण ने प्रतिवादीगण के पिता गणपत से प्रतिफल राशि अदा कर ... कब्जा खरीद की थी तथा नकद खरीद के बाद वादीगण का पिता अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज व दाखिल रहा है। उनके मरने के बाद वादीगण काबिज व दाखिल है। वादीगण आराजी के सदभावी क्रेता है और मौके पर वास्तविक कब्जा है। प्रतिवादीगण के नाम आया गलत अमल, हम वादीगण के हकूकों के विरूद्व बातिल व बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रारम्भ से ही शून्य है। जिसे वादीगण इसी कदर दुरुस्त कराकर प्रतिवादीगण के नाम के अमल को हजफ कराकर वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा अपने नाम का अमल दरामद कराकर इश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। दावा के साथ सूचि अनुसार दस्तावेज संलग्न किये।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलव किया गया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित है अर्थात् प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की और से साक्ष्य प्रस्तुत की गई। जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील वादीगण पर मनन किया। मुताबिक रजि0 बयनामा दिनांक 12.10.1998 के वादीगण के पिता नारायण ने गणपत से विवादित आराजी क्रय की है जिसके आधार पर वादीगण अपने नाम अमल दरामद कराने के अधिकारी पाये जाते है। दावा वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 699 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का 1/3 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि व आराजी खसरा नम्बर 553 रकबा 18 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उक्त रकबे से प्रतिवादीगण के नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(के0 [illegible] आर्य)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

...खण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
128/2016	19-05-2016	29/12/2020

उनवान

01. रामबक्स
02. लीलाराम
03. रामलाल पुत्रान श्री नारायण जाति माली निवासीगण ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादीगण

बनाम

01. महेन्द्र पुत्र गणपत जाति माली निवासी ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर
02. राजबाला पुत्री गणपत पत्नी रामसिंह जाति माली
03. कृष्णा पुत्री गणपत पत्नी रोहताश जाति माली निवासीगण ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल आबाद लूणी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ

———:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 699 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का 1/3 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 533 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि व आराजी खसरा नम्बर 533 रकबा 18 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उक्त रकबे से प्रतिवादीगण के नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है।

29/12/2020

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर)